संख्या: 17/2017/47/35-4-2017

उत्तर प्रदेश शासन।

उ0 प्र0 लखनऊ।

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोण्डा में शासनादेश रू. 2160.47 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:263 कैम्प/बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/2016-17(त्व.मांग.) दिनांक 20 दिसम्बर,2016 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 1728.38 लाख (रूपये सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख लाख अड़तीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	गोण्डा-बलरामपुर रोड से सीतापुर ऑख अस्पताल तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	24.63	4.93	19.70
2	मो0 साहबगंज में श्री मूलचन्द्र के मकान से इलाहाबाद बैंक तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	71.98	14.40	57.58
3	मो0 गायत्रीपुरम में चौराहा से तकिया मस्जिद तक अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	329.83	65.97	263.86
4	गुड्डुमल चौराहा से दुखहरण नाथ मन्दिर तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	378.97	75.79	303.18
5	मो0 पटेलनगर में ईदगाह गेट के सामने/पास आवास विकास में लेखपाल के घर तक वाया गोण्डा नर्सिंगहोम तक तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	40.05	8.01	32.04
6	डा0 मौर्या के मकान से कल्लू वाया बाबू भाई के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	52.74	10.55	42.19
7	गोनार्द होटल/कामता होटल से लोहिया पार्क/ पेट्रोल पम्प वाया दुर्गा मन्दिर तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	344.08	68.82	275.26

8	मो0 इलियास के मकान से होते हुये काजी हाउस से रेलवे स्टेशन तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	89.28	17.86	71.42
9	अनीश मजार वाया जहीर ठेकेदार के मकान, मुस्ताक और मनसूर फ्रूटी वाले के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	30.02	6.00	24.02
10	अंकेश कुमार सिंह के मकान से विद्यावती मकान से राम बरन मौर्या वाया विनोद मिश्र के मकान तक व अन्य गलियों गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	45.80	9.16	36.64
11	कर्बला रोड से अरूण पारकर के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	68.70	13.74	54.96
12	उतरौला रोड पर शुक्ला वस्त्रालय के दुकान से वारिश/ लाल बाबू के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	44.22	8.84	35.38
13	मो0 आवास विकास प्रथम में कच्चे बाबा होते हुये मटू के दुकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	62.93	12.58	50.35
14	मो0 महरानीगंज रानीजोत में रेलवे मजिस्ट्रेट आवास के पास से दीपू पाण्डेय तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	126.16	25.23	100.93
15	मो0 आवास विकास द्वितीय में साइड पटरी व शान्ती काम्पलेक्स से डा0 मनोज सिन्हा व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	103.25	20.65	82.60
16	एल0 बी0 एस0 पार्कसे मनोरंजन तिराहा तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	102.72	20.54	82.18
17	मुंशीराम भाटिया के दुकान से गॉधी विद्यामन्दिर तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	94.72	18.94	75.78
18	ईदगाह मार्ग से पटेल नगर होते हुये मंत्री के आवास से गोण्डा बहराइच मार्ग तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	99.23	19.85	79.38
19	गोण्डा बहराइच मार्ग से विनोद श्रीवास्तव के मकान के बगल कच्चे बाबा होते हुये पटेल नगर रमजान सभासद के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	51.16	10.23	40.93
	योग	2160.47	432.09	1728.38

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप लिमिट(डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-04-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:17/2017/47(1)/35-4-2017 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।